सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 हेतु मैनुअल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मैनुअल तैयार किया गया है जो इस प्रकार हैः–

(1) संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्यः– उ0प्र0 निर्यात नीति 1998.2002 के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना उ0प्र0 के निर्यात में वृद्वि तथा निर्यात से सम्बन्धित अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उ0प्र0 निर्यात नीति के क्रियान्वयन,अनुश्रवण आदि विशिष्ट कार्यों हेतु की गयी है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो जिसका मुख्यालय लखनऊ में है जिसके विभागाध्यक्ष निर्यात आयुक्त है।

शासनादेश संख्या 2574/18.4.99.81(निर्यात)/98 दिनांक 12 फरवरी 1999 द्वारा निर्यात आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व हैंः–

1.निर्यात व्यापार से जुड़ी इकाईयों एवं उद्यमियों को पंजीकृत करना तथा ऐसी पंजीकृत इकाईयों में से रु0 20.00 लाख वार्षिक अथवा उससे अधिक वार्षिक निर्यात टर्नओवर वाली इकाईयों को सिल्वर कार्ड तथा 50 लाख या अधिक निर्यात टर्नओवर वाली इकाईयों को गोल्ड कार्ड उपलब्ध कराना।

2.निर्यात क्षेत्र में सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विदेशी बाजारों के बारे में विस्तृत एवं अध्यावधिक सूचना निर्यातकों को उपलब्ध कराना। 3.प्रमुख निर्यात केन्द्र स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर निर्यातकों एवं सम्बन्धित विभागों/संस्थाओ की नियमित बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना। 4.निर्यातकों को सभी क्लियरेन्स यथा अवस्थापना विद्युत व्यापार कर, प्रदूषण आदि निश्चित समय के अन्दर उपलब्ध कराना।

5. निर्यात मूलक उद्योग से सम्बन्धित विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों का परीक्षण एवं कार्यान्वयन करना एवं उ0प्र0 के निर्यातकों को उपलब्ध कराना तथा आयातक/निर्यातक एवं आपूर्ति कर्ताओं की निदर्शनी तैयार करना।

6.प्रमुख निर्यात केन्द्रों के प्रदर्शन, विक्रय, सम्मेलन, गोष्ठी आदि का आयोजन कराना।

7. क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन तथा निर्यातकों को व्यापार मेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना।

8.उत्पादकता में वृद्धि, नये डिजाइनों, आधुनिक तकनीकी की जानकारी एवं उत्पाद के विविधीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना। 9.उ0प्र0 निर्यात नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

(2) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः– निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में शासन द्वारा निर्यात आयुक्त एवं अपर निर्यात आयुक्त के क्रमशः एक–एक पद सृजित हैं जिन पर शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने मूल दायित्वों के साथ–साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य देखा जा रहा है। वर्तमान में निर्यात आयुक्त के पद पर प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन एवं अपर निर्यात आयुक्त के पद पर विशेष सचिव लघु उद्योग द्वारा अपने सौंपे गये दायित्वों के अतिरिक्त ब्यूरो का कार्य देखा जा रहा है। उक्त अधिकारियों के मार्गदर्शन में उद्योग निदेशालय से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ब्यूरो का कार्य सम्पादित किया जाता है। आहरण एवं नीति विषयक अधिकार निर्यात आयुक्त में निहित है। (3) कार्य प्रणालीः– निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा निर्यातकों को परामर्श सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त उनका ब्यूरो में पंजीयन, गोल्ड तथा सिल्वर कार्ड जारी किया जाना तथा उन्हें प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना तथा फ्रेट युक्तिकरण योजना के माध्यम से विदेशी क्रेता को माल भेजने में हुए व्यय का कुछ प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है तथा श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। उक्त हेतु आवेदन–पत्र सम्बन्धित जिलों के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिस पर महाप्रबन्धक अपनी संस्तुति प्रदान करता है उन्हीं आवेदन–पत्रों का ब्यूरो स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। विपणन विकास सहायता योजना एवं फ्रेट युक्तिकरण योजना का लाभ केवल लघु उद्योग के अन्तर्गत निर्माता के रूप में पंजीकृत इकाईयों को ही दिया जाता है। ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाऐं सभी स्तर के निर्यातकों को अनुमन्य है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से सम्बन्धित सभी शासनादेश ब्यूरो कार्यालय में संयुक्त निर्यात आयुक्त के अभिरक्षा में उपलब्ध है, संयुक्त निर्यात आयुक्त के निर्देशानुसार अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य कराया/किया जाता है।

(4) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में उपलब्ध अभिलेखों का विवरणः—

1. विपणन विकास सहायता योजना का शासनादेश।
2. फ्रेट युक्तिकरण योजना सम्बन्धी शासनादेश।
3. राज्य निर्यात पुरस्कार सम्बन्धी शासनादेश।
4. एसाइड योजना से सम्बन्धित शासनादेश।
5. कार्यालय ज्ञाप/आदेश।
6. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पदों का सृजन ।
7. प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियां सम्बन्धी शासनादेश।
8. विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त निर्यातकों की व्यक्तिगत पत्रावलियां।
9. लेखा से सम्बन्धित समस्त रजिस्टर, बिल, बाउचर्स आदि।

(5) काउन्सिल, बोर्ड व कमेटी का गठनः— जिसमें विभिन्न विभागों के अतिरिक्त निर्यात संवर्धन काउन्सिल, निर्यात/औद्योगिक संगठनों को भी नामित किया । इसके अतिरिक्त जिला यूजर्स कमेटी जो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित की गयी है में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त निर्यातकों को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

(6) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचीः—

1. डॉ. जे0 एन0 चैम्बर (आई.ए.एस.), प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन के पद पर कार्य करते हुए साथ—साथ अतिरिक्त प्रभार निर्यात आयुक्त के रूप में कार्य देख रह्रे हैं।
2. श्री मारकण्डेय सिंह अपर निर्यात आयुक्त विशेष सचिव लघु उद्योग द्वारा पद पर कार्य करते हुए अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य देखा जा रहा है। उद्योग निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारी ब्यूरो से सम्बद्ध हैं।
3. श्री प्रभात कुमार संयुक्त निर्यात आयुक्त उप निदेशक/महाप्रबन्धक स्तर के एक अधिकारी उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से सम्बद्ध हैं।
4. श्री उमेश चन्द्र, सहायक निदेशक उ0।
5. **श्री पीयूष शुक्ला प्रबन्धक (ऋण)**।
6. श्री ओ0 पी0 पाठक, एस0 आई0।
7. श्री डी. एन. पाण्डेय, एस0 आई0।
8. श्री संजय निगम अन्वेशक एवं संगणक।
9. श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक प्रबन्धक।
10. श्री रवि कपूर आशुलिपिक।
11. श्री तस्दीक हुसैन कनिष्ठ लिपिक उद्योग निदेशालय के कर्मचारी ब्यूरो से सम्बद्ध हैं।
12. श्री एस0आर0 नकवी कनिष्ठ लिपिक उद्योग निदेशालय के कर्मचारी ब्यूरो से सम्बद्ध हैं।
13. श्री दिलीप कुमार, अनुचर उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 के कर्मचारी हैं जो ब्यूरो से सम्बद्ध हैं।

(7) बजट प्राविधान योजनाए :–

1. त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना

a.विपणन विकास सहायता योजना

b.फ्रेट युक्तिकरण योजना

c.राज्य निर्यात पुरस्कार योजना

d.निर्यातकों की क्षमता विकास (जैसे कि उच्च स्तरीय संस्थाओं के सहयोग से गोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन)

e.निर्यातकों एवं कार्मिकों को निर्यात एवं विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी विविध प्रशिक्षण

f.निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में डाटा बैंक एवं निर्यात सम्बन्धी पुस्तकालय की स्थापना

g.निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की विभिन्न निर्यात क्षेत्रों एवं विश्व व्यापार संगठन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों तथा ब्राण्ड प्रमोशन सहायता

2. वायुयान भाड़ा सहायता योजना

(8) उपादान/प्रोत्साहन सम्बन्धी योजनाएँ :–निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो योजनाऐं क्रमशः त्वरित निर्यात विकास योजना (विपणन विकास सहायता योजना, फ्रेट युक्तिकरण योजना) एवं वायुयान भाड़ा सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसमें निर्यातकों द्वारा अपने उत्पाद को विदेशी क्रेता के पास भेजने में तथा उनके विपणन में किए गए प्रयासों में हुए व्यय यथा विदेशी क्रेता को भेजने में हुए व्यय सैम्पुल, विदेशी मेले में स्टाल लगाना, प्रचार प्रसार, आई0एस0ओ0/बी0आई0एस0 प्राप्त करने तथा शिपिंग हेतु पोर्ट तक माल ले जाने में हुए व्यय का कुछ भाग प्रतिपूर्ति के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है जो निम्नवत है:– उत्तर प्रदेश निर्यात नीति में निर्यातकों को अपने उत्पाद को निर्यात लायक बनाने तथा विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सहायता प्रदान करने का प्राविधान किया गया है ताकि लघु उद्यमी निर्यातक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। योजनान्तर्गत निम्न लिखित विभिन्न चार श्रेणियों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

(अ) विदेशी व्यापार फेयर अथवा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता

क– लघु उद्योग इकाई हेतु स्थल किराये का 60 प्रतिशत् (रू0 1,00,000/– अधिकतम् सीमा तक)

ख– एक व्यक्ति के लिये इकोनॉमी क्लास से वायुयान व्यय का 50 प्रतिशत् अधिकतम् सीमा रू0 50,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष तक होगी। निर्यातक द्वारा स्थल किराये पर व्यय में निर्यातक का अंश वायुयान व्यय में छूट से अधिक होगा अन्यथा वायुयान व्यय में छूट में कटौती कर दी जायेगी।

(ब) निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार अभिलेखों (कैटेलॉग, विज्ञापन, वेबसाइट आदि) की छपाई हेतु वित्तीय सहायता – कुल व्यय का 60 प्रतिशत (अधिकतम् सीमा रू0 60,000/–)

(स) विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु वित्तीय सहायता – वायुयान अथवा कोरियर से सैम्पुल भेजने पर व्यय का 75 प्रतिशत् अनुदान (अधिकतम् सीमा रू0 50,000/–) प्रति निर्यातक प्रति वर्ष।

(द) गुणवत्ता नियंत्रण सहायता ताकि निर्यातक आई0एस0ओ0–9000 अथवा बी0आई0एस0–14000 प्राप्त कर सके

(क)– व्यय का 50 प्रतिशत् रू0 50,000/– अधिकतम् सीमा प्रति निर्यातक प्रति वर्ष।

(ख)–एक्सपोर्ट फ्रेट प्रतिपूर्ति योजना उत्तर प्रदेश एक भूआच्छादित राज्य है जो कि देश के प्रमुख बन्दरगाहों जैसे मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई व विशाखापटनम से काफी दूर स्थित है। यहॉ के उद्यमियों को विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद को पहॅुचाने में काफी लम्बे स्थल मार्ग अवा फिर वायुमार्ग का सहारा लेना पड़ता है। स्थल/वायु परिवहन, जल परिवहन की अपेक्षा कई गुना मंहगा पड़ता है जिसकी बजह से प्रदेश के उद्यमी अपने उत्पाद को विदेशी बाजारो में प्रतिस्पर्धी कीमतों में प्रस्तुत कर पाने में अपने आप को अपेक्षाकृत कम सक्षम पाते हैं। इससे जहॉ एक ओर विश्व व्यापार में भारत के अंश को बढ़ाने में प्रदेश के उद्यमी अपेक्षित मदद नहीं कर पाते वहीं दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती है जिससे राज्य के राजस्व एवं रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त भौगोलिक परिस्थिति के प्रति निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दर पर निर्यात माल बायर्स

को भेजे जाने हेतु सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा फ्रेट प्रतिपूर्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के लघु उद्यमियों द्वारा बन्दरगाहों/एयर कार्गो काम्लेक्स के माध्यम से माल भेजने पर स्थल/वायु मार्ग पर आये व्यय के कुछ अंश की प्रतिपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में इनलेण्ड कन्टेनर डिपो के माध्यम से भेजे जाने पर प्रति कन्टेनर (बीस फिट) रू0 5,000.00 की सहायता अनुमन्य है।

3. इसके अतिरिक्त वायुयान भाड़ा सहायता योजना द्वारा पेरिसिबल वस्तुएँ एवं अन्य निर्यात वस्तुओं को एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से भेजने पर रू0 50/– प्रति किग्रा (अधिकतम् रू0 2,00,000.00 प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष) की सहायता अनुमन्य है। उपरोक्त आवेदन करने वाली इकाईयों में से पात्र इकाईयों का चयन प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर सम्बन्धित आई.सी.डी./सी.एफ.एस.की संस्तुति पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के प्रस्ताव अनुसार, सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट यूजर्स कमेटी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। उक्त योजनाओं में पात्रता की श्रेणी में आने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के रूप में निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जाता है जिससे सम्बन्धित सभी सूचियां ब्यूरो कार्यालय स्तर पर उपलब्ध हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित मैनुअल ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(9) भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की व्यवस्थाः– निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो
कार्यालय समय : 9.30 प्रातः से 6.00 सांय कार्य
दिवस : सोमवार से शुक्रवार

जन सूचना अधिकारी –
पीयूष शुक्ला
फोन–0522–2721205

अपीलीय अधिकारी
प्रभात कुमार
स0 नि0 आ0